

राजस्व पर्षद, केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार।

दिनांक- 10 अप्रैल से 13 अप्रैल, 2017 तक केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा पटना स्थित केन्द्र (A.N. College, Patna) पर आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की विशेष संक्षिप्त विभागीय परीक्षा, 2017 हेतु परीक्षा कार्यक्रम।

क्र०सं०	विषय कोड	विषय	घंटे	परीक्षार्थियों की संख्या
दिनांक 10.04.2017, 02:30 बजे अपराह्न				
1	1	हिन्दी- सभी सेवा के पदाधिकारियों के लिए।	3	
दिनांक 11.04.2017, 10:00 बजे पूर्वाह्न				
2	4	विधि पत्र-1 (पुस्तक रहित)- भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के लिए	3	
3	12	विधि भाग-1 (पुस्तक रहित)- असैनिक सेवा/ निर्वाचन सेवा/ ग्रामीण विकास सेवा/ राजस्व सेवा के पदाधिकारियों के लिए	1½	
दिनांक 11.04.2017, 2:30 बजे अपराह्न				
4	16	विधि पत्र-2 (पुस्तक सहित)- भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के लिए	3	
5	21	विधि भाग-1(पुस्तक सहित)-असैनिक सेवा/ निर्वाचन सेवा/ ग्रामीण विकास सेवा/ राजस्व सेवा के पदाधिकारियों के लिए	1½	
दिनांक 12.04.2017, 10:00 बजे पूर्वाह्न				
6	30	विधि भाग-2 (पुस्तक रहित)- असैनिक सेवा/ राजस्व सेवा के पदाधिकारियों के लिए	1½	
दिनांक 12.04.2017, 2:30 बजे अपराह्न				
7	39	विधि, भाग-2 (पुस्तक सहित)- असैनिक सेवा एवं राजस्व सेवा के पदा० के लिए	1½	
दिनांक 13.04.2017, 10:00 बजे पूर्वाह्न				
8	42	लेखा (पुस्तक रहित)- असैनिक सेवा/ ग्रामीण विकास सेवा/ अल्प संख्यक कल्याण/ बिहार सांख्यिकी सेवा/ बिहार योजना सेवा/ बिहार अ.ज./अ.ज.जा. कल्याण सेवा/ निर्वाचन सेवा/ राजस्व सेवा/ श्रम सेवा/ नियोजन सेवा/ औद्योगिक एवं प्रशिक्षण तथा बाल विकास परियोजना सेवा के पदाधिकारियों के लिए।	1½	

दिनांक 13.04.2017, 2:30 बजे अपराह्न				
9	46	लेखा (पुस्तक सहित)- असैनिक सेवा/ बिहार ग्रामीण सेवा/ अल्प संख्यक कल्याण/ बिहार सांख्यिकी सेवा/ बिहार योजना सेवा/ बिहार अ.ज./अ.ज.जा. कल्याण सेवा/ निर्वाचन सेवा/ राजस्व सेवा/ श्रम सेवा/ नियोजन सेवा/ औद्योगिक एवं प्रशिक्षण तथा बाल विकास परियोजना सेवा के पदाधिकारियों के लिए।	1½	

टिप्पणी :-

1. जिन पदाधिकारियों के नाम परीक्षार्थी की सूची में नहीं रहेंगे, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायगी।
2. हिन्दी मौखिक परीक्षा की सूचना अलग से राजस्व पर्षद की वेबसाइट (www.boardofrevenuebihar.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी।
3. परीक्षार्थी केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र अपने साथ अनिवार्यतः लायेंगे।
4. विभिन्न विषयों की पुस्तक सहित परीक्षा में उन्ही पुस्तकों का व्यवहार किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ अधिनियम एवं नियमावली हो। व्याख्या या प्रश्नोत्तरयुक्त पुस्तकों का व्यवहार प्रतिबंधित है।

Rajesh.
24/3/2017
(राजेश कुमार)

सचिव,

केन्द्रीय परीक्षा समिति,
राजस्व पर्षद, बिहार।

24.03.17

24/3/17